

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 240 / 2025
निर्णय दिनांक : 06.02.2026
जीसीएमएस संख्या- 2025 / 391

हेमाराम बनाम राजस्थान सरकार
-:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी हेमाराम पुत्र तेजाराम जाति दरोगा निवासी लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम कानूता की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 486 में प्रार्थी के नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी के एक ही नाम की दो प्रविष्टि होने के कारण साकारी लाभांश प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के नाम की दो प्रविष्टियों को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाकर एकल प्रविष्टि किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी / तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र तेजाराम जाति दरोगा निवासी लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ की दोहरी प्रविष्टि दर्ज है। जो गलत है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ के उपर्युक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दोहरी प्रविष्टि को एकल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।


अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)
दिनांक 06.02.

केस नं0 : ग्रामीणसेवाशिविर / 2025 / 240
2026

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)